छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
(सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ)
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर–492002

क्रमांक एफ 8–1/2013/आरटीआई/1–सूअप्र, नया रायपुर, दिनांक 24/07/2013

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, छ.ग. बिलासपुर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत
छत्तीसगढ़.

विषयः– सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005– लोक प्राधिकारियों की सूची तैयार कर जारी करना।

छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग द्वारा राज्य शासन का ध्यान इस विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्र. एफ 7–6/05/1/6, दिनांक 21.11.2005 की ओर आकर्षित किया गया है, जिसमें बताया गया है कि सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा–2 की परिभाषा अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में कौन–कौन लोक प्राधिकारी हैं। उक्त परिपत्र में "मंत्रालयीन विभागांतर्गत समस्त विभागाध्यक्ष" को लोक प्राधिकारी होना दर्शाया गया है, लेकिन विभागाध्यक्ष के नियंत्रणाधीन संभाग, जिला, तहसील एवं विकासखंड स्तर पर स्थापित विभाग के कार्यालयों को लोक प्राधिकारी होने का उल्लेख नहीं हुआ है। आयोग का मत है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2 (ज) के भाग (क), (ख), (ग) एवं (घ) में दी गई परिभाषा के अनुसार संविधान द्वारा या उसके अधीन, *अथवा* संसद/राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी अन्य विधि द्वारा *अथवा* समुचित सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना या किए गए आदेश द्वारा, स्थापित या गठित कोई प्राधिकारी या निकाय या स्वायत्त सरकारी संस्था को लोक प्राधिकारी माना गया है। अतः आयोग ने इस संबंध में शासन स्तर से समुचित दिशा–निर्देश जारी करने की आवश्यकता बताई है। साथ ही आयोग ने भारत सरकार, कार्मिक तथा लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, नई दिल्ली के ज्ञापन संख्या 1/12/2007–आई.आर, दिनांक 31.7.2007 के अनुसार राज्य शासन के सभी विभागों में लोक प्राधिकारियों की विस्तृत अद्यतन सूची तैयार करने की आवश्यकता भी बताई है।

2/ भारत सरकार, कार्मिक तथा लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, नई दिल्ली ने उनके ज्ञापन क्रमांक 1/12/2007–आई.आर, दिनांक 31.7.2007 में सभी राज्यों को विभागों में लोक प्राधिकरणों की विस्तृत सूची तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उक्त ज्ञापन में बताया गया है कि लोक प्राधिकरणों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है :–

(i) संवैधानिक निकाय

(ii) लाईन एजेन्सियां

क्रमशः...2..

(iii) सांविधिक निकाय

(iv) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

(v) कार्यकारी आदेश के अन्तर्गत सृजित निकाय

(vi) सरकार के स्वामित्व वाले, सरकार द्वारा नियंत्रित अथवा भरपूर वित्त पोषित निकाय, और

(vii) सरकार द्वारा भरपूर वित्त पोषित गैर सरकारी संगठन।

3/ इस संबंध में विभाग द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2 (ज) में निहित लोक प्राधिकारी की परिभाषा के अनुसार परीक्षण उपरान्त निम्नानुसार **स्पष्ट किया जाता है कि –**

(1) अधिनियम की धारा 2 (ज) के भाग (घ) के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना या आदेश द्वारा, मंत्रालयीन विभागान्तर्गत स्थापित समस्त **विभागाध्यक्ष एवं उनके क्षेत्राधिकार में संभाग, ज़िला, तहसील एवं ब्लॉक स्तर पर स्थापित विभाग के सभी कार्यालय भी "लोक प्राधिकारी" हैं।**

(2) अधिनियम की धारा 2 (ज) के भाग (ग) के अनुसार, राज्य विधान–मंडल द्वारा बनाई गई किसी अन्य विधि द्वारा स्थापित या गठित कोई प्राधिकारी या निकाय या स्वायत्त सरकारी संस्था को भी लोक प्राधिकारी माना गया है अतः उक्त परिभाषा के अनुसार **समस्त जिला पंचायत, नगर पंचायत, जनपद पंचायत एवं ग्राम पंचायत भी "लोक प्राधिकारी" हैं।**

4/ अतः यह निर्देशित किया जाता है कि सभी विभाग उनके अधीनस्थ आने वाले विभागाध्यक्षों के क्षेत्राधिकार में संभाग, जिला, तहसील एवं ब्लॉक स्तर पर स्थापित समस्त कार्यालयों को लोक प्राधिकारी मानते हुए, उनकी विस्तृत सूची तैयार करें एवं उसे दो सप्ताह में विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कराकर, पालन प्रतिवेदन इस विभाग को भेजें। विभागों द्वारा लोक प्राधिकारियों की सूची को वेबसाईट पर निरंतर अद्यतन रखा जाना सुनिश्चित किया जाए।

(के. आर. पिस्दा) 24/7/2013
सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ.क्रमांक एफ 8–1/2013/आरटीआई/1–सूअप्र, नया रायपुर, दिनांक 24/07/2013

प्रतिलिपिः–

1. माननीय राज्यपाल के प्रमुख सचिव, राजभवन, रायपुर।
2. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर।
3. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्रीजी, मंत्रालय, नया रायपुर।

क्रमशः....3..

4. रजिस्ट्रार जनरल/महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर।
5. समस्त निज सचिव/निज सहायक, माननीय मुख्यमंत्रीजी/मंत्रीगण/संसदीय सचिवगण, मंत्रालय, नया रायपुर।
6. सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग, निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड, शंकर नगर, रायपुर (छ.ग.) की ओर पत्र कमांक 335/नि.स./सु.सू.आयु./2013, दिनांक 28.02.2013 एवं अर्द्ध शास. पत्र कमांक 1016, दिनांक 21.5.2013 के संदर्भ में।
7. सचिव, राज्य योजना आयोग/राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग/राज्य मानव अधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/राज्य महिला आयोग/राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग/राज्य अनुसूचित जाति आयोग/राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग/राज्य अल्पसंख्यक आयोग/राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग/लोक आयोग/लोक सेवा आयोग/राज्य विद्युत नियामक आयोग/राज्य युवा आयोग/छत्तीसगढ़, रायपुर।
7. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़, रायपुर।
8. उप सचिव, महाधिवक्ता कार्यालय, उच्च न्यायालय परिसर, बिलासपुर।
9. संचालक, जनसम्पर्क संचालनालय, रायपुर।
10. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली।
11. अवर सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, नया रायपुर।
12. राज्य सूचना अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सचिव, 24/7/2013
छत्तीसगढ़ शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग